न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 113/20

किशनलाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी महादेववाली तह. छतरगढ हाल आबाद चक 3 पीडब्ल्यूएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर रा ....अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला। .... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

अपील का ब्यौरा इस प्रकार है की अपीलांट किशनलाल पुत्र पन्नाराम को को सन 2017 में चक 3 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 41/23 व 41/31की 50 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। अपीलांट द्वारा जब उक्त आवंटन आदेश को तहसीलदार के समक्ष नामांतरण के लिए पेश किया तब तहसीलदार ने नामांतरण संख्या 188 को इस आधार पर खारिज कर दिया उक्त आवंटन आदेश नियम विरुद्ध है। अपीलांट का कहना है कि क्योंकि उक्त जमीन अपीलेट को विधिवत तौर पर आवंटित हुई है। इसलिए इंतकाल संख्या 188 को निरस्त किया जाए और आवंटन आदेश के अनुसार नामांतरण दर्ज किया जाए।

अदालत द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। नामांतरण संख्या 188 पर भी गौर किया गया। अदालत का मत है की तहसीलदार को उपखंड अधिकारी के न्यायिक आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि उपखंड अधिकारी का न्यायिक आदेश विधि विरुद्ध है या उस आदेश से राज्य सरकार का हित प्रभावित हो रहा है तो तहसीलदार उस आदेश के विरुद्ध सक्षम अदालत में अपील कर सकता है। लेकिन वह स्वयं के स्तर पर उस आदेश को खारिज नहीं कर सकता।

अदालत द्वारा आवंटन पत्रावली दिनांक 14.07.2017 का भी अध्ययन किया गया। अपीलांट ने सर्वप्रथम सन 1999 में विशेष आवंटन के तहत चक 39 केजेडी के मुरब्बा नंबर 48/63 पर आवेदन किया था। उक्त भूमि पर कुल 4 आवेदन प्राप्त हुए थे परंतु 99 में इन आवेदनों पर कोई फैसला नहीं किया गया था। 2017 में तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा इन चारों आवेदनों की जांच की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि क्योंकि मदनलाल पुत्र मोटाराम की प्राथमिकता आवंटन नियम 1975 के अनुसार सर्वोच्च श्रेणी की है इसलिए उक्त मुरब्बा नंबर 48/63 मदनलाल को आवंटन किया जाता है। यह निर्णय 19.04. 2017को किया गया। उसके बाद 07.07.2017 को अपीलांट को उक्त विवादित आराजी आवंटन की गई। यह आंवटन इस आधार पर किया गया कि क्योंकि अपीलांट को वह भूमि आंवटन नहीं हो पाई जो उसके द्वारा मूल आवेदन में मांगी गई थी। इसलिए आवंटन नियम 1975 के नियम 13(ए)5 4 के तहत उसे अन्यत्र भूमि आवंटित की गई है।

अदालत द्वारा उक्त नियम का अध्ययन किया गया इस नियम के मुताबिक

सन 1999 में जिस समय अपीलांट द्वारा प्रथम बार आवेदन किया गया था उस समय अपीलांट द्वारा चाही गई भूमि पर कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे।

उन आवेदकों का वरीयता क्रम क्या था।

वह भूमि किसे अलॉट हुई थी और किस प्रक्रिया के जरिए अलॉट हुई थी।

क्या समान प्राथमिकता वाले 2 आवेदकों के मध्य फैसला किया गया था और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपीलांट जमीन से वंचित रह गया था।

इन दोनों निर्णय दिनांक 19.04.17 और 07.07.17 पर सरसरी नजर डालने से ही यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 07.07.17 को किया गया आवंटन नियम 13 (ए) 5 4 की दायरे में नहीं आता है क्योंकि उक्त नियम तभी लागू होगा जब दो समान प्राथमिकता वाले आवेदकों के बीच फैसला किया गया हो। जबकि यहां तो स्पष्ट है की प्रथम आवंटन के समय मदनलाल की प्राथमिकता सर्वोच्च थी। अपीलांट और मदनलाल की प्राथमिकता समान नहीं थी।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आवटन [illegible] विस्तृत जांच करें। यदि उक्त आवेदन विधि विरुद्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ सक्षम [illegible]लय [illegible]पील दायर करें।यदि उक्त आवेदन आबंटन विधि मान्य पाया जाता है तो उसका नामांतरण दर्ज करें। [illegible] के साथ ही इंतकाल संख्या 188 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:38:13 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)